रामाशीष यादव एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

9 सितम्बर, 1999

[जी.बी. पटनायक एवं एन. संतोष हेगड़े, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860 :

धारा 302/149, धारा 302/34, धारा 324/34, धारा 141 - विधिविरुद्ध जमाव - हत्या - परिवादी पक्ष तथा अभियुक्त व्यक्तियों के मध्य भूमि विवाद - अभियुक्त 13 की संख्या में - कुछ बंदूक, गंडासा, चाकू तथा लाठियों से सशस्त्र - एक अभियुक्त ने परिवादी पक्ष के एक व्यक्ति को गोली मारकर मृत्यु कारित की - दो अन्य ने परिवादी पक्ष के एक अन्य व्यक्ति को गंडासे से प्रहार किए जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो गई - दो और अभियुक्तों ने परिवादी को चाकू से चोटें कारित कीं - विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को धारा 302/149 के अधीन दोषसिद्ध किया तथा आजीवन कारावास से दंडित किया - उच्च न्यायालय ने 5 को दोषमुक्त किया तथा शेष 7 को धारा 302, धारा 302/149 तथा धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया - अपील लंबित रहने के दौरान एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई - अभिनिर्धारित, अभियोजन साक्ष्य से यह स्थापित नहीं होता कि अभियुक्त व्यक्तियों ने एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था - धारा 149 का आश्रय लेकर उनकी दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है - धारा 302/149 के अधीन दोषसिद्धि अपास्त - परिवादी पक्ष के व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाली गोली चलाने वाले अभियुक्त को धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया - गंडासे से प्रहार करके एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्तों को धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया - इन तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया - परिवादी को चाकू से चोटें कारित करने वाले अन्य दो

अभियुक्तों को धारा 324/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया तथा दो वर्ष के कारावास से दंडित किया गया।

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : 1996 की आपराधिक अपील सं. 719-722।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं. 543/88, 1/89, 13 तथा 1989 की 30 में दिनांक 31.1.1996 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

एम.पी. झा तथा राम एकबाल राय, अपीलकर्ताओं की ओर से।

बी.बी. सिंह, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश प्रदान किया गया :

सात अभियुक्त-अपीलकर्ताओं, जिनका विचारण 6 अन्य व्यक्तियों के साथ धारा 302/149 तथा कुछ अन्य अपराधों के लिए किया गया था, को अंततः विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 302/149 के अधीन दोषसिद्ध किया गया तथा मुंद्रिका और राम तपेश्वर यादव की हत्या कारित करने के लिए आजीवन सश्रम कारावास से दंडित किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्ध किए गए 13 अभियुक्त व्यक्तियों में से एक की मृत्यु विद्वान सत्र न्यायाधीश के निर्णय के पश्चात हो गई। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्ध सभी अभियुक्त व्यक्तियों के मामले पर उच्च न्यायालय ने विचार किया और उनमें से 5 को दोषमुक्त कर दिया, किन्तु शेष 7 की धारा 304, धारा 302/149 तथा धारा 302/34 और अन्य अपराधों के अधीन दोषसिद्धि को बनाए रखा और इस प्रकार ये अपीलें 7 अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई हैं। अभियोजन के मामले के अनुसार, घटना की तिथि को ये अभियुक्त व्यक्ति भूमि को अपनी भूमि बताते हुए उसे जोत रहे थे और कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के पास बंदूक थी जबकि कुछ अन्य के पास गंडासा तथा लाठी जैसे हथियार थे। जब सूचक तथा उसके पक्ष के कुछ अन्य व्यक्ति वहाँ गए और इस बात का विरोध किया कि वे सूचक की भूमि को क्यों जोत रहे हैं, तब अभियुक्त व्यक्तियों ने यह कहा कि वह उनकी भूमि है और

इसलिए वे विवादित भूमि को जोतना जारी रखेंगे। इस बात पर कुछ कहासुनी हुई और तब अभियुक्त राम दास यादव ने बंदूक निकालकर गोली चलाई जो मुंद्रिका को लगी और मुंद्रिका की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। दो अन्य अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात् राम प्रवेश यादव तथा रामानंद यादव, अचानक आए और परिवादी पक्ष के तपेश्वर यादव को पकड़ लिया और उसी समय समुद्र यादव तथा शिव लायक यादव अपने हाथ में गंडासा लेकर आए और गंडासे से तपेश्वर के सिर पर प्रहार किए। सूचक को रामानंद यादव, सुखदेव यादव, शिव लायक यादव तथा राम ईश्वर यादव, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ने पकड़ लिया, राम ईश्वर यादव ने कलाई पर लाठी का प्रहार किया और रामानंद यादव ने छुरा का प्रहार किया। अभियोजन साक्षी 1 द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान प्रारम्भ किया और आरोप-पत्र समर्पित किया, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। अभियोजन का मामला 3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अभियोजन साक्षी 1, अभियोजन साक्षी 3 तथा अभियोजन साक्षी 4 के साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में अभियुक्त राम दास यादव ने गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप मुंद्रिका की मृत्यु हुई और इसलिए उन सभी को धारा 302/149 के अधीन दोषसिद्ध किया। अभियुक्त राम दास यादव, जिसने गोली चलाई थी, को धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया। अपील में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अभियोजन साक्षी 1, अभियोजन साक्षी 3 तथा अभियोजन साक्षी 4 के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उनके साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है, जिसे चिकित्सक के साक्ष्य से पुष्टि प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेख पर यह स्थापित करने हेतु संतोषजनक तथा विश्वासप्रद साक्ष्य उपलब्ध है कि खेत में कुछ शब्द-विनिमय के पश्चात मुंद्रिका यादव को राम दास यादव द्वारा गोली मारी गई थी और मुंद्रिका की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी तथा राम तपेश्वर को

पकड़े जाने के पश्चात समुद्र यादव तथा शिव लायक यादव द्वारा गंडासे से प्रहार किए गए थे और सूचक को भी पकड़े जाने के पश्चात राम ईश्वर यादव तथा रामानंद यादव द्वारा क्रमशः लाठी तथा छुरा से प्रहार किए गए थे, किन्तु चूँकि साक्षियों ने अभियुक्त राजेश्वर यादव, चंदेश्वर यादव, देवी दयाल यादव, राजेन्द्र यादव तथा सोनाधारी यादव के विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की थी, अतः यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने घटना के शिकार बने व्यक्तियों पर आक्रमण करने अथवा उनकी हत्या करने के सामान्य उद्देश्य को साझा किया था और तदनुसार उन्हें किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना गया तथा आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। किन्तु जहाँ तक पाँच अपीलकर्ताओं का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया तथा आजीवन कारावास के दंड की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त समुद्र यादव तथा शिव लायक यादव को भी तपेश्वर की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया तथा उसके अधीन आजीवन कारावास के दंड की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, सूचक को गंभीर चोट कारित करने के लिए रामेश्वर यादव की धारा 325 के अधीन दोषसिद्धि तथा दो वर्ष के सश्रम कारावास का दंड भी बरकरार रखा गया। जहाँ तक अभियुक्त रामानंद की भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उसे अपास्त कर दिया तथा उसके स्थान पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दोषसिद्ध किया और एक वर्ष के सश्रम कारावास का दंड दिया। दंडों को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया।

अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षी 1, अभियोजन साक्षी 3 तथा अभियोजन साक्षी 4 के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के मामले को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेने पर भी केवल राम दास यादव को ही धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है, जिसने गोली चलाई थी और गोली लगने से मुंद्रिका

की मृत्यु हुई थी, तथा अन्य दो व्यक्तियों, जिन्होंने तपेश्वर को गंडासे के प्रहार किए थे, को धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है। किन्तु वे दो अन्य व्यक्ति जिन्होंने तपेश्वर को पकड़ा था, तथा अन्य दो अपीलकर्ताओं, जिन्होंने न तो मुंद्रिका पर और न ही तपेश्वर पर आक्रमण किया था और जिन्होंने अभियोजन साक्षी 1 को चोट पहुँचाई थी, को धारा 302/149 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था। दूसरी ओर, बिहार राज्य की ओर से उपस्थित श्री बी.बी. सिंह ने तर्क दिया कि मात्र इस तथ्य से कि अभियुक्त व्यक्ति हाथों में हथियार लेकर वहाँ गए थे और उसके पश्चात जब सूचक पक्ष वहाँ गया तथा विरोध किया, तब कहासुनी हुई और उसके बाद उन्होंने आक्रमण प्रारम्भ किया जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उन सभी का सामान्य उद्देश्य था और धारा 149 का आश्रय लेकर उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से उन्होंने तर्क दिया कि कम-से-कम वे व्यक्ति जिन्होंने मृतक को पकड़ा था और जिनके कारण अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों को तपेश्वर पर गंडासे का प्रहार करने में सुविधा हुई, वे धारा 302/34 के अधीन उत्तरदायी होंगे। श्री सिंह के तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए हमने अभियोजन साक्षी 1, अभियोजन साक्षी 3 तथा अभियोजन साक्षी 4 के साक्ष्य का परीक्षण किया है। साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त व्यक्ति खेत में गए थे और जुताई कर रहे थे। स्पष्टतः, उस समय यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अर्थ में कोई विधिविरुद्ध जमाव गठित किया था, क्योंकि अभियोजन यह स्थापित करने में असफल रहा है कि उनके सामान्य उद्देश्यों के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में उल्लिखित पाँच विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य विद्यमान था। तथापि, श्री बी.बी. सिंह ने धारा 141 के स्पष्टीकरण पर भरोसा किया और तर्क दिया कि कोई जमाव, जो उसके एकत्रित होने के समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद में विधिविरुद्ध जमाव बन सकता है। उक्त प्रतिपादन के संबंध में कोई विवाद नहीं है। किन्तु अभियोजन साक्षी 1, अभियोजन साक्षी 3 तथा अभियोजन साक्षी 4 के साक्ष्य से हमारे लिए यह कल्पना करना

कठिन है कि किसी बाद के समय में अभियुक्त व्यक्तियों ने पाँच विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी एक को अपने सामान्य उद्देश्य के रूप में ग्रहण किया हो। स्थिति ऐसी होने तथा इस तथ्य के अभाव में कि अभियुक्त व्यक्तियों ने एक विधिविरुद्ध जमाव गठित किया था, उनकी धारा 149 भारतीय दंड संहिता का आश्रय लेकर की गई दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है। धारा 149 पाँच या अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव की अपेक्षा करती है जिसका एक सामान्य उद्देश्य हो, अर्थात् धारा 141 में उल्लिखित उद्देश्यों में से कोई एक, और तत्पश्चात उस उद्देश्य की पूर्ति में जमाव के सदस्यों द्वारा कृत्यों का किया जाना। हमारे इस निष्कर्ष के दृष्टिगत कि कोई विधिविरुद्ध जमाव नहीं था, अपीलकर्ताओं की धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्धि संधारित नहीं की जा सकती। तदनुसार, हम अपीलकर्ताओं की धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्धि अपास्त करते हैं। किन्तु जहाँ तक अभियुक्त रामदास यादव का संबंध है, साक्षी इस बात पर एकमत हैं कि उसी ने गोली चलाई थी जो मुंद्रिका को लगी और मुंद्रिका की मृत्यु हुई तथा चिकित्सीय साक्ष्य भी इसकी पुष्टि करता है, अतः उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है तथा आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है।

तपेश्वर की हत्या के संबंध में धारा 34 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर आते हुए, हम तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से पाते हैं कि जबकि राम प्रवेश यादव तथा रामानंद यादव ने तपेश्वर को पकड़ रखा था, अभियुक्त समुद्र यादव तथा शिव लायक यादव गंडासा लेकर आए और तपेश्वर के सिर पर गंडासे से प्रहार किए, जिसके परिणामस्वरूप तपेश्वर की मृत्यु हो गई। धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य के किए जाने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। उस दायित्व का आधार अभियुक्तों को प्रेरित करने वाले सामान्य आशय के अस्तित्व में निहित है, जो ऐसे आशय की पूर्ति में किसी आपराधिक कृत्य के किए जाने की ओर ले जाता है। धारा 34 की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में सहभागिता का तत्व है। सामान्य आशय का तात्पर्य संयुक्त रूप से कार्य करना है, ऐसे पूर्व-नियोजित योजना का

अस्तित्व, जिसे आचरण, परिस्थितियों अथवा किसी भी दोषसूचक तथ्य से सिद्ध किया जाना आवश्यक है। यह एक पूर्व-नियोजित योजना की अपेक्षा करती है और पूर्व-सहमति को पूर्वधारित करती है। अतः पूर्व में मनों का मिलन होना आवश्यक है। पूर्व-सहमति अथवा मनों का मिलन अपराधकर्ताओं के आचरण से, जो कार्रवाई के दौरान प्रकट होता है, तथा आक्रमण करने के ठीक पूर्व उनके द्वारा किए गए उद्घोषण से निर्धारित किया जा सकता है। यह तत्काल भी विकसित हो सकता है, किन्तु पूर्व-व्यवस्था अथवा पूर्व-नियोजित सहमति का होना आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए विधि की यह अपेक्षा होने के कारण, मात्र इस तथ्य से कि अभियुक्त राम प्रवेश यादव तथा रामानंद यादव आए और उन्होंने तपेश्वर को पकड़ लिया, जिसके पश्चात समुद्र यादव तथा शिव लायक यादव अपने हाथों में गंडासा लेकर आए और गंडासे से प्रहार किए, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त राम प्रवेश यादव तथा रामानंद यादव ने अभियुक्त समुद्र यादव तथा शिव लायक यादव के साथ सामान्य आशय साझा किया था। परिणामस्वरूप, अभियुक्त राम प्रवेश यादव तथा रामानंद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, किन्तु अभियुक्त समुद्र यादव तथा शिव लायक यादव ने मृतक तपेश्वर के सिर पर गंडासे से प्रहार करके, जिसके कारण तपेश्वर की मृत्यु हुई, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त राम प्रवेश यादव तथा रामानंद यादव उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाते हैं और उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए। जहाँ तक अन्य दो अपीलकर्ताओं, अर्थात् रामाशीष यादव तथा सुखदेव यादव का संबंध है, उन्होंने केवल सूचक को चाकू द्वारा चोट कारित की है और ऐसी चोट कारित करने के लिए उन्हें केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है तथा दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। किन्तु वे अब तक सात वर्ष से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में रह चुके हैं, अतः उन्हें भी तत्काल मुक्त किया जाए। अतः परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता राम दास यादव की भारतीय दंड संहिता

की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि तथा आजीवन सश्रम कारावास का दंड बरकरार रखा जाता है और उसकी अपील खारिज की जाती है।अन्य सभी अपीलकर्ताओं की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। अपीलकर्ताओं समुद्र यादव तथा शिव लायक यादव की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि तथा आजीवन सश्रम कारावास का दंड बरकरार रखा जाता है। अतः उनके द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है। अभियुक्त राम प्रवेश तथा रामानंद आरोपों से दोषमुक्त किए जाते हैं तथा उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए।अभियुक्त रामाशीष यादव तथा सुखदेव यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है तथा दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है और चूँकि वे पहले ही सात वर्ष से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में रह चुके हैं, उन्हें तत्काल मुक्त किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार, अपीलें निस्तारित की जाती हैं।

आर.पी. — अपीलें निस्तारित।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।